"प्रशासन आपके द्वार"

राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप–6)विभाग

कमांक:प.5 ( 1 )राज–6/ 97/19 जयपुर,दिनांक 30-11–2004
समस्त जिला कलेक्टर्स,
राजस्थान

# परिपत्र

विषय:–आम रास्ते निकालने एवं राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्राय: यह देखने में आया है कि गॉवों में खातेदार के खेतों में से होकर जो रास्ते निकल रहे हैं उनका राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं किया हुआ होने से, यदि बीच के किसी खातेदार कृषक द्वारा उक्त रास्ते को अचानक बंद कर दिया जाता है तो समस्याएं पैदा हो जाती हैं।

भविष्य में ऐसी समस्या उत्पन्न न हो इस हेतु कृषि जोत के विभाजन करने से पूर्व रास्तो का आवश्यक रूप से प्रावधान करने के सम्बन्ध में विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 6–11–2004 जारी किया जा चुका है।

इसी सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि यदि ऐसे समस्त खातेदार कृषक, जिनकी खातेदारी की भूमि के खेत में से होकर रास्ता गुजरता है या नवीन रास्ता प्रस्तावित है तो सम्बन्धित खातेदारों की सहमति से रास्ते में आने वाली भूमि का समर्पण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के प्रावधानानुसार किया जाकर रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर दिया जावें ।

यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्तानुसार रास्ता निकालने की कार्यवाही की जाने वाली कार्यवाही में बीच में यदि कोई राजकीय भूमि पडती है तो सम्बन्धित तहसीलदार अपनी सहमति के साथ प्रकरण उपखण्ड अधिकारी के माध्यम से स्वीकृति हेतु जिला कलक्टर को भेजेगा । जिला कलेक्टर की स्वीकृति उपरान्त राजस्व रिकार्ड में तद्नुसार रास्ता अंकन किया जायेगा ।

भवदीय,

(बी.एस.मीना)
शासन उप सचिव